विषय – वस्तु

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ. सं
1.	योजना	1
2.	योजना के उद्देश्य	1-2
3.	वित्तीया सहायता की मात्रा एवं उसके प्रकार	2
4.	हितभोगियों के लिए योग्यता शर्ते	3-4
5.	कार्यान्वयनकारी अभिकरण	4-5
6.	वित्तीय संस्थाएं	5
7	हितभोगियों की पहचान	5-6
8	बैंक से निधि	6-7
9	ब्याज की दर तथा पुनर्भुगतान की योजना	7
10	योजना के प्रचालन के तरीके	8-10
11	हितभोगियों के चयन के लिए मानदंड	10-15
12	मशीनरी	15-16
13	उद्यमकर्ता विकास का क्रम (ईडीपी)	16
14	कयर उद्यमी एककों का प्रत्यक्ष सत्यापन	16-17
15	अवगत करानेवाले कैंप	17-18
16	करार का निष्पादन	18-19
17	कयर उद्यमी योजना के हितभोगियों के लिए विपणन समर्थन सहायता	19-21
18	आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले दस्तावेजों की सूची	21

कयर उद्योग के नवीकरण,आधुनिकीकरण
तथा प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीकरण के लिए मार्ग निर्देश – एक केंन्द्रीय क्षेत्र योजना

1. योजना

भारत सरकार ने देश के कयर उद्योग के धारणीय विकास को सुगम बनाने के लिए उधार जुडी आर्थिक सहायता योजना अर्थात कयर उद्योग के नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीकरण को जारी रखने का अनुमोदन दिया है । बदले में यह ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलओं तथा जनता के कमजोर वर्गों के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित करेंगे । कयर उद्यमी योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जानेवाली केन्द्रीय क्षेत्र योजना होगी । राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन एम एसएम ई मंत्रालय के अधीनस्थ सांविधिक संगठन कयर बोर्ड द्वारा किया जाएगा । राज्य स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों, उप क्षेत्रीय कार्यालयों, कयर मार्क योजना कार्यालय तथा जिला उद्योग केन्द्रों, कयर परियोजना कार्यालयों बैंकों एवं ऐसे अन्य कार्यालयों द्वारा किया जाएगा। अंतिम वितरण योजना के अधीन कयर बोर्ड को जारी की जानेवाली आर्थिक सहायता का अंतिम वितरण हितभोगियों/उद्यमकर्ताओं को अपने बैंक खातों से पहचाने गए बैंकों द्वारा किया जाएगा । विशेषकर हितभोगियों की पहचान, विशिष्ट व्यवहार्य परियोजनाएँ तथा उद्यमकर्ता विकास में प्रशिक्षण प्रदान करना, योजना के अधीन संस्थापित एककों के सत्यापन आदि क्षेत्रों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कयर बोर्ड कार्यालय, डी आई सी कयर परियोजना कार्यालय आदि कार्यान्वयन करनेवाले अभिकरण विख्यात गैर–सरकारी संगठनों (एन जी ओ)/ विख्यात स्वायत्त संस्थाओं/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम/पंचायती राज संस्थाओं और अन्य प्रासंगिक निकायों से सहयोग लेंगे ।

2. योजना के उद्देश्य

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं ।

क) कयर तथा कयर उत्पादों के उत्पादन एवं प्रक्रमण में आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर कयर उद्योग को आधुनिक बनाना

ख) उत्पादकता, गुणता तथा उत्पाद विविधता को सुधारने के लिए उत्पादन तथा प्रक्रमण प्रौद्योगिकी को उच्च स्तरीय बनाना

ग) क्षेत्र में कार्यरत मज़दूरों की कमाई को बढाने के लिए दक्षता और उत्पादकता को बढाना ।

घ) नारियल के छिलकों के उपयोग कोबढ़ाना तथा कयर रेशों एवं कयर उत्पादों के उत्पादन को बढाना ।

ङ) नारियल उत्पादित करने वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में रोज़गार का सृजन करना ।

च) लिंग शाक्तिकरणहेतु ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना ।

छ) उद्योग में कार्यरत उत्पादकों/मज़दूरों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को सुधारना

ज) हितभोगियों के असुरक्षित वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों (एस सी) अनुसूचित जन जातियों (एस टी) तथा उत्तर- पूर्वी क्षेत्रों के (एन ई आर)लोगों के सम्मिलित विकास में योगदान करना ।

झ) कयर क्षेत्र की ओर आकर्षित करने की दृष्टि से नारियल उत्पादन राज्यों के ग्रामीण युवकों को पर्याप्त प्रशिक्षण देना ।

ञ) योजना के अधीन सहायता दिए जाने वाले एककधारकों को पश्चगामी/अगामी संयोजन उपलब्ध कराना।

3. वित्तीय सहायता की मात्रा और उसके प्रकार

कयर उद्यमी के अधीन निधि के स्तर

हितभोगियों का अंशदान (परियोजना लागत का)	बैंक क्रेडिट	आर्थिक सहायता की दर (परियोजना लागत का)
5%	55%	40%

टिप्पणी:- परियोजना की अधिकतम स्वीकार्य लागत दस लाख रूपए जोड कार्य पूंजी है, जो परियोजना लागत के 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कार्य पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंकों को आवधिक ऋण के बदल संयोजित ऋणों के बारे में विचार करना चाहिए । यह प्रस्तावित 10 लाख रूपए की सीमा के अतिरिक्त होना चाहिए । तथापि कार्य पूंजी के घटक को शामिल किए बिना ही आर्थिक सहायता की संगणना की जाएगी ।

4. हितभोगियों के लिए योग्यता शर्तें

I. भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो ।

II. कयर उद्यमी योजना के अधीन परियोजना स्थापित करने के लिए सहायता हेतु कोई आय की सीमा नहीं होगी।

III. कयर क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले कयर रेशे/धागे/उत्पाद आदि के उत्पादन हेतु परियोजनाओं के लिए ही योजना के अधीन सहायता उपलब्ध होगी ।

IV. योजना के अंतर्गत व्यक्तियो ,कंपनियों स्वयं सहायक दलों, गैर-सरकारी संगठनों, समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत संस्थानों, उत्पादन सहकारी समितियों, संयुक्त देयता दलों तथा धर्मार्थ न्यासों को सहायता उपलब्ध की जाएगी । तथापि इसी उद्देश्य के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अधीन जिन एककों ने पहले ही सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ उठाया हो, वे इस योजना के अधीन आर्थिक सहायता का ,दावा करने केलिए योग्य नहीं हैं ।

4.1 अन्य योग्यता शर्तें

I. अन्य विशेष वर्गों के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति/संप्रदाय प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आवेदन प्रपत्र के साथ हितभोगियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हैं ।

II. जहाँ भी आवश्यक हो, संस्था की नियमावली की प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करने की आवश्यकता हैं ।

III. परियोजना लागत में पूंजीगत व्यय अर्थात भवन तथा यंत्र समूह शामिल हैं ।

IV. आवेदकों को अपने परियोजना प्रस्ताव में कार्य पूंजी के एक चक्र को भी शामिल करने का विकल्प रहेगा । तथापि, कार्य पूंजी को आर्थिक सहायता के लिए गिना नहीं जाएगा । बैंक परियोजना के अनुमोदन पर विचार कर सकता है और कार्य पूंज़ी हेतु उसकेलिए प्राप्त अनुदान पर विचार किए बिना ऋण दिया जाएगा । एकक को स्थापित करने के बाद ही कार्य पूंजी के लिए ऋण मंजूर और प्रदान

किया जाएगा । किसी भी हालत में परियोजना में शामिल कार्य पूँजी परियोजना लागत के 25% से अधिक नही होना चाहिए ।

V. यदि हितभोगी पहले से ही वर्कशेड (सायबान) रखा हआ है तो आवश्यक यंत्र समूह का घटक ही योजना के अनुसार परियोजना लागत बनेगा ।

टिप्पणी :- कयर उद्यमी के अधीन परियोजनाएं स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार का एक ही सदस्य योग्य होगा । 'परिवार' में स्वयं तथा पति या पत्नी शामिल है ।

5. कार्यान्वयनकारी अभिकरण

5.1 यह योजना कयर बोर्ड, कयर हाउस, एम.जी रोड, कोच्ची द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा जो एम एस एम ई मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है और राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्रा नोडल अभिकरण होगा । राज्य स्तर पर यह योजना बोर्ड के क्षेत्र कार्यालयों अर्थात क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों/कयर मार्क योजना कार्यालयों/शोरूम तथा बिक्री डिपोओं द्वारा कार्यान्वित की जाएगी । क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा योजना के अधीन हितभोगियों को पहचानने के लिए राज्य जिला उद्योग केन्द्रों ,कयर परियोजना कार्यालयों पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य प्रसिद्ध गैर - सरकारी संगठनों के साथ समन्वयन किया जाएगा ।

5.2 तकनीकी सहायता, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, केंन्द्रीय कयर अनुसंधान संस्थान (सी सी आर आई) कलवूर तथा केन्द्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई सी टी) बैंगलूर तथा कयर क्षेत्र के विकास और प्रोन्नति में लगी अन्य संस्थाओं द्वारा उपलब्ध की जाएगी । इस योजना का नियमित निरीक्षण सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जाएगा ।

5.3 नोडल अभिकरण

कयर उद्यमी के अधीन कार्यान्वयन में नोडल अभिकरणों का विवरण निम्नांकित हैः

I. कयर बोर्ड के क्षेत्र कार्यालय यथा क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/कयर मार्क योजना कार्यालय/शोरूम तथा बिक्री डिपो और देश के विभिन्न भागों में स्थित कयर बोर्ड के सभी अन्य उप कार्यालय

II. सभी राज्य सरकारों के जिला उद्योग केन्द्र तथा राज्य के स्वामित्ववाले कयर फेड/ कयर निगम

III. बैंक

IV. पंचायती राजा संस्थाएं

V. व्यक्तियों द्वारा चलाए जानेवाले गैर - सरकारी संगठन, जिनका लघु कृषि एवं ग्रामीण उद्योग प्रोन्नति तथा तकनीकी परामर्शदाता सेवाओं के परियोजना परामर्श देने में ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण में पर्याप्त अनुभव एवं प्रवीणता है तथा जिनके पास आवश्यक आंतरिक संरचना और परामर्शदाता तथा राज्य या जिला के ग्रामीण एवं तालुक स्तर तक पहूँचने की क्षमता है । पिछले 3 सालों में अपने किसी भी कार्यक्रम के लिए गैर-सरकारी संगठनों को राज्य या राष्ट्रीय स्तर के सरकारी आभिकरणों से निधि प्राप्त होती है ।

6. वित्तीय संस्थाएँ

I. आर बी आई अधिनियम की दुसरी अनुसूची में दिए गए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
II. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
III. सहकारी बैंक, जो एम एस एम ई के लिए क्रेडिट प्रतिभूति न्यास निधि की सदस्य ऋणदाता संस्थाएँ है तथा एस सी/एस टी/ओबीसी वित्त तथा विकास निगमों द्वारा भी |

7. हितभोगियों की पहचान

विभिन्न क्षेत्रों के हितभोगियों की पहचान कयर बोर्ड डी आई सी, कयर परियोजना कार्यालय, बैंक पंचायती राज संस्थाएँ आदि के प्रतिनिधियोंवाली समिति द्वारा की जाएगी । समिति का नेतृत्व उद्योग आयुक्त/उद्योग निदेशक/ राज्य के कयर क्रियाकलापों के कार्यभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा । बैंक, डी आई सी परियोजना कार्यालय, पंचायती राज संस्थाएं आदि आवेदनों पर विचार करने केलिए उनको चयन समिति संयोजक के पास भेजेंगे| वित्तीय सहायता की अधिकतर राशि का लाभ उठाने के लिए परियोजना के यंत्र समूह/मकान और अन्य घटकों पर लागत बढ़ानेवाले मामले स्वीकृत नहीं किए जाएंगेतथा ऐसे आवेदन पूर्ण रूप से अस्वीकृत किए जाएँगे या परियोजना की लागत को कम करके ऐसे आवेदनों पर विचार करने केलिए समिति के पास प्राधिकार होगा । चयन प्रक्रिया पूर्ण,स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ न्याय पूर्ण तथा उचित होनी चाहिए तथा समिति द्वारा चयनित आवेदन कयर बोर्ड वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा ।

8. बैंक से निधि

8.1 बैंक द्वारा आवेदन जैसे ही प्राप्त होगा, बैंक मंजूरी या नामंजूरी की सूचना हितभोगी तथा कयर बोर्ड को साठ (60) कलैंडर दिनों के भीतर देगा। अस्वीकृति के विस्तृत कारण अभिलिखित किए जाएँगे तथा कयर बोर्ड और हितभोगियों को सूचित किए जाएँगे और बैंकों के नोडल शाखाओं में भी अनुरक्षित किए जाएंगे।

8.2 प्राप्त मंजूरी के आधार पर मार्जिन राशि के वितरण के लिए प्रत्येक राज्य के कार्यान्वयनकारी बैंकों की नोडल शाखाओं में कयर बोर्ड के नाम पर मार्जिन राशि (आर्थिक सहायता) पहले से ही एकमुश्त जमा की जाएगी।

8.3 हितभोगियों के जमा अंशदान के 5% के समायोजन के बाद परियोजना लागत का 95% बैंक मंजूर करेगा तथा परियोजना को शुरू करने के लिए हितभोगी अंशदान सहित परियोजना लागत की पूरी राशि किश्तों में वितरित करेगा।

8.4 बैंक से मंजूरी पत्र की प्रति की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर संबंधित बैंक में हितभोगी को अपना अंशदान जमा करना चाहिए।

8.5 हितभोगी के अंशदान की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर हितभोगी को ऋण की पहली किश्त बैंक द्वारा अपने वित्तीय शाखा से वितरित की जाएगी।

8.6 बैंको द्वारा पूंजीगत व्यय को आविधिक ऋण तथा कार्य पूँजी को नकद क्रेडिट के रूप में वित्तपोषित किया जाएगा। पूँजीगम व्यय और कार्यपूँजी सम्मिलित संयोजित ऋण के रूप में भी बैंको द्वारा परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जा सकता है। मार्जिन राशि (आर्थिक सहायता) के 40%

प्रतिशत और हितभोगियों से प्राप्त 5% स्वामित्व अंशदान को घटाने के बाद कुल परियोजना लागत का 55% ही बैंक क्रेडिट की राशि होगी।

8.7 कार्य पूँजी की आवश्यकताओं की पूर्ति केलिए भी आवधिक ऋण के बदले संयोजित ऋण के बारे में भी बैंक विचार कर सकता है। इसमें प्रस्तावित 10 लाख रूपए की परियोजना लागत की सीमा भी शामिल होनी चाहिए। कार्य पूँजी परियोजना लागत 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कार्य पूँजी घटक के लिए कुछ आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी।

8.8 अनुमोदित परियोजना के लिए नोडल बैंक द्वारा योग्य आर्थिक सहायता तब दी जाएगी जब कार्यान्वयनकारी बैंक से यह औपचारिक पुष्टीकरण प्राप्त होगा कि परियोजना रिपोर्ट में दर्शाए गए पूँजीगत व्यय के आधार पर अमुक हितभोगी को ऋण की पहली किश्त प्रदान की गई है। कुल राशि में आर्थिक सहायता की राशि पर बैंक ब्याज प्रभारित नहीं करेंगे। यद्यपि बैंकों द्वारा परियोजना रिपोर्ट में दर्शाए गए पूँजी व्यय तथा उसकी मंजूरी के आधार पर आर्थिक सहायता का दावा किया जाएगा तो भी पूंज़ीगत व्यय के वास्तविक उपयोग के समानुपात आर्थिक सहायता अपने पास रखकर अतिरिक्त राशि यदि कुछ है तो, उत्पादन प्रारंभ करने के लिए परियोजना के तैयार होने के तुरंत बाद कयर बोर्ड को लौटानी चाहिए।

8.9 योजना के अधीन सृजित सारी परिसंपत्तियों को हितभोगियों द्वारा बीमा करवाना हैं।

9. ब्याज की दर तथा पुनर्भुगतान योजना

9.1 ऋणों पर प्रभारित होनेवाले ब्याज की दर बुनियादी दर के समान होगी । पुनर्भुगतान की अवधि हितभोगियों.को अपनी परियोजना पूरी करने में समर्थ बनाने के लिए संबंधित बैंक। वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित प्रथम ऋण स्थगन के बाद 7 सालों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9.2 एम एस एम ई मंत्रालय के विकास आयुक्त के कार्यालय के अधीन क्रेडिट प्रतिभूति नयास निधि के तहत यह ऋण सुरक्षित होगा। इस सुरक्षा के लिए प्रतिभूति शुल्क हितभोगी या बैंक द्वारा उठाया जाएगा। आवधिक ऋण समापार्श्विक / तृतीय पक्ष प्रतिभूति के बिना होगा तथा किसी भी हालत में बैंकों द्वारा ऐसे दस्तावेजों की माँग की जाएगी।

10. योजना के प्रचालन के तरीके

10.1 कयर बोर्ड द्वारा संभाव्य हितभोगियों से राज्य स्तर पर विज्ञापन, समाचार पत्र, रेडियो तथा अन्य माध्यमों और डी आई सी द्वारा आवधिक अंतरालों में परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएँगे। योजना पंजायती राज संस्थाओं, जो हितभोगियों को पहचानने में मदद करने के द्वारा विज्ञापित / प्रचारित की जाएगी।

10.2 योजना के अधीन आवेदन कयर बोर्ड कार्यालयों, जिला उद्योग केन्द्रों, पंचायती राज संस्थाओं तथा इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नोडल अभिकरणों से प्राप्त किए जा सकते है। ये प्रपत्र कयर बोर्ड के वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते है तथा सीधे कयर बोर्ड के क्षेत्र कार्यालयों में या डी आई सी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

10.3 जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा प्राप्त आवेदन क्षेत्र कार्यालय को भेजा जाएगा । निम्नलिखित क्षेत्र कार्यालय के प्रभारी अधिकारी अपने अधिकारी क्षेत्र में आनेवाले जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

प्राधिकृत कार्यालय	अधिकार क्षेत्र
कयर बोर्ड प्रादेशिक कार्यालय डोर नं. 103, वल्लालर स्ट्रीट, वेंकटेशा कोलनी, पोल्लाची-642001 दूरभाष/फैक्स- 04259-222450	तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्विप समूह, पोंडिच्चेरी
कयर बोर्ड प्रादेशिक कार्यालय स्वराज नगर, ए सी गार्डन्स राजमुंद्री- 53101 दूरभाष : 0883-2432065	आन्ध्रप्रदेश
कयर बोर्ड प्रादेशिक कार्यालय आटिंगल, पी.ओ. तिरूवनंतपुरम-695101 दूरभाष : 0470-2628624	केरल के तिरूवनंतपुरम, कोल्लम और पत्तनमविट्टा जिला
कयर बोर्ड प्रादेशिक कार्यालय नं.3 ए, पीन्या औद्योगिक क्षेत्र टी वी एस क्रोस के पास, पीन्या बैंगलूर - 560058 दुरभाषः 080-28375023	कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा तथा गुजरात
कयर बोर्ड प्रादेशिक कार्यालय जगमरा (उद्योगपूरी), खंडागिरी पी.ओ, भुवनेश्वर -751030 , ओडिशा दूरभाष : 0674-250078	ओडिशा, बिहार तथा झारखंड
कयर बोर्ड उप प्रादेशिक कार्यालय नया सचिवालय बिल्डिंग सी ब्लॉक निचली मंजिल, 1 किरण शंकर राय रोड कोलकत्ता-700 001, दूरभाष : 033-64586422	पश्चिम बंगाल
कयर बोर्ड उप प्रादेशिक कार्यालय ए एस आई डी सी कोम्प्लेक्स भामुनि मैदान, गुवाहटी-781022 दूरभाष : 0361-2556828	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
कयर मार्क योजना कार्यालय अबाबील कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल, एस बी टी मुख्य शाखा के पास, सी सी एस बी रोड आलप्पुषा - 688 011, दूरभाष - 0477-2254325	लक्षद्वीप, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम तथा पत्तनमतिट्टा को छोडकर केरल के सारे जिले
कयर बोर्ड जन संपर्क कार्यालय राजीव गांधी हांडीक्राफ्ट्स भवन दूसरी मंजिल, बाबा खडग सिंह मार्ग कनॉट्ट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001, दूरभाष : 011-24337766	नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू, पंजाब, चंडीगढ तथा अन्य उत्तर भारतीय राज्य

10.4 प्राप्त आवेदनों को उन पर विचार करने केलिए क्षेत्रीय स्तर की चयन समिति को भेजा जाएगा। प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा के लिए निम्नांकित सदस्यों को सम्मिलित कर क्षेत्रीय स्तर की एक चयन समिति गठित की जाएगी।

क. उद्योग आयुक्त/उद्योग के निदेशक/राज्य के कयर कार्यालय के प्रभारी अधिकारी	अध्यक्ष
ख. लीड बैंक प्रबंधक/ एसएलबीसी नामांकित व्यक्ति	सदस्य
ग. क्षेत्र में कार्यरत 3 मुख्य बैंको से प्रतिनिधि (प्रत्येक बैंक से एक)	सदस्य
घ. एससी / एसटी निगम से एक प्रतिनिधि	सदस्य
ङ जिला पंचायत के प्रतिनिधि	सदस्य
च. महा प्रबंधक , डी आई सी	सदस्य
छ. क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के राज्य उद्योग विभाग का एक नामित व्यक्ति	सदस्य
ज. कयर बोर्ड के क्षेत्र कार्यालय का प्रभारी अधिकारी	संयोजक

बैठक का स्थान, समिति के अध्यक्ष की सुविधानुसार कयर बोर्ड के क्षेत्र कार्यालय स्थित जिला मुख्यालय या समिति अध्यक्ष का कार्यालय स्थित स्थान होगा।

10.5 क्षेत्रीय स्तर की चयन समिति बैंकों को पहले से ही अग्रेषित आवेदनों की स्थिति की भी समीक्षा करेगी। बैंक द्वारा जब आवेदन प्राप्त किया जाता है, तो मंजूरी या नामंजूरी की सूचना बैंक द्वारा हितभोगी तथा कयर बोर्ड क्षेत्र कार्यालय को 60 कलैंडर दिनों के भीतर दी जाएगी।

10.6 अखिल भारतीय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन पर समीक्षा कयर बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षतावाली मूल्यांकन तथा संचालन समिति द्वारा की जाएगी। समिति की बैठक, जैसे और जब अपेक्षित हो , अध्यक्ष की सुविधानुसार बुलाई जाएगी। समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :

क. अध्यक्ष, कयर बोर्ड	अध्यक्ष
ख. सचिव, कयर बोर्ड	सदस्य
ग. एसएलबीसी/लीड बैंक/कार्यान्वयन बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
घ. राज्य सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
ङ कयर उद्योग / कयर मशीनरी निर्माता के प्रतिनिधि	सदस्य
च. संयुक्त निदेशक (योजना), कयर बोर्ड	संयोजक

11. हितभोगियों के चयन के लिए मानदंड

I. हितभोगियों का चयन आवेदन की प्राप्ति की प्राथमिकता पर योग्यता के अनुसार किया जाएगा।

II. **कयर उद्यमी** योजना के हितभोगियों के लिए उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम अनिवार्य होगा। आवेदकों को **कयर उद्यमी** योजना के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने से पहले या आवेदन प्रस्तुति के बाद परंतु बैंक को क्षेत्रीय स्तर की चयन समिति द्वारा आवेदकों के संस्तुतीकरण से पहले उद्यमकर्ता विकास

कार्यक्रम का प्रशिक्षण लेना है। जब बैंक के विचार केलिए इसे आवेदन का संस्तुतीकरण होता है, तब उसके साथ हितभोगी द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

III. कयर बोर्ड के क्षेत्र कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा उन आवेदनों की समीक्षा की जाएगी जो सभी दृष्टि से पूर्ण हो तथा उनको क्षेत्रीय स्तर की चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

IV. क्षेत्रीय स्तर की चयन समिति परियोजनाओं की अनुभव क्षमता तथा व्यवहारिकता के आधार पर आवेदनों की संवीक्षा करेगी तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में आवेदकों का ज्ञान अभिरूचि, दिलचस्पी, क्षमता तथा उद्यमकर्ता क्षमताएँ, उपलब्ध बाजार, पुनर्भुगतान की ईमानदारी तथा प्रस्तावित परियोजना की सफलता के प्रयासों को आंकने केलिए उनसे साक्षात्कार करेगी।

V. उसके बाद चयनित आवेदन बैंकों को अग्रेषित किए जाएँगे।

VI. प्रत्येक परियोजना की व्यावहारिकता के आधार पर बैंक अपने निर्णय लेंगे। सी जी टीएफ योजना के अधीन आनेवाली परियोजनाओं के लिए आर बी आई के मार्गनिर्देश के अनुसार कोई समपार्शिक गिरवी नहीं माँगी जाएगी।

VII. यदि कोई आवेदन अस्वीकृत होते है, तो बैंकों द्वारा अस्वीकृत होने के कारण लिखित रूप में कयर बोर्ड क्षेत्र कार्यालय तथा आवेदकों को दिए जाने चाहिए।

निधि प्रवाह की प्रक्रिया

निम्न तरीकों से बैंकों द्वारा निधि दी जाएगी।

- भारत सरकार द्वारा कयर बोर्ड को कयर उद्यमी योजना के अधीन निधि दी जाएगी ।
- जैसे ही बैंक द्वारा आवेदन अनुमोदित होता है, वैसे ही बैंक द्वारा हितभोगी और कयर बोर्ड को इसकी परियोजना केलिए सूचना दी जाएगी । बैंक से मंजूरी प्राप्ति पर कयर बोर्ड द्वारा अनुमोदित योग्य सरकारी अनुदान जमा किया जाएगा। प्रत्येक परियोजना की व्यावहारिकता के आधार पर बैंक अपने क्रेडिट निर्णय लेंगें।
- प्राप्त मंजूरी के आधार पर मार्जिन राशि (आर्थिक सहायता) के विरण के लिए प्रत्येक राज्य के नोडल बैंको में कयर बोर्ड के नाम पर मार्जिन राशि (आर्थिक सहायता) एकमुश्त जमा की जाएगी।
- उद्देश्य केलिए आवश्यक निवेश की मात्रा (हितभोगी अंशदान) हितभोगी द्वारा संबंधित बैंक में जमा की जएगी। यह हितभोगी द्वारा बैंक से ऋण की मंजूरी की पुष्टि करते हुए पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर किया जाना है।
- बैंक द्वारा कयर बोर्ड से मार्जिन राशि (आर्थिक सहायता) की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर हितभोगी को आवधिक ऋण दिया जाएगा।
- केवल पूँजीगत व्यय के लिए जरूरी वास्तविक निवेश पर मार्जिन राशि (आर्थिक सहायता) अपने पास रखकर अतिरिक्त राशि, यदि कुछ हो तो, उत्पादन शुरू करने के लिए परियोजना के तैयार होने के तुरंत बाद कयर बोर्ड द्वारा वापस दी जाएगी।

- बैंक द्वारा आवधिक ऋण देने के 6 महीनों के अंदर परियोजना समाप्त होगी।
- एमएसएमई मंत्रालय के विकास आयुक्त के कार्यालय के अधीन सी जी टी एफ योजना के तहत यह सुरक्षित होगा।इस सुरक्षा के लिए प्रतिभूति शुल्क हितभोगी या बैंक द्वारा उठाया जाएगा। इन ऋणों के लिए कुछ समपार्श्विक/तृतीय पक्ष प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है।
  i. ई-ट्राकिंग, वेब प्रबंधन, प्रचार एककों का प्रत्यक्ष सत्यापन, प्रशिक्षण कार्यक्रम अवगत करानेवाली कार्यशालाएँ आदि के आयोजन सहित अग्र और पश्च कडियों में बताए गए महत्वपूर्ण कार्य कयर बोर्ड द्वारा किए जाएँगे।

VIII. परियोजना प्रस्तावों की स्थिति की समीक्षा केलिए जिलाधीश उनके प्रतिनिधि बैंकों के साथ तिमाही बैठक चलाएँगे।जहाँ कहीं भी परियोजाएँ अस्वीकृत हुई हो, बैंकों द्वारा कयर बोर्ड तथा आवेदकों को कमियों/कारणों को प्रस्तुत किया जाएगा।

IX. चूँकि बैंक प्रतिनिधि चयन समिति के सदस्य भी है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि चयन समिति द्वारा पारित अधिकतम परियोजनाओं को बैंकों द्वारा मंजूरी दी जाती है। चयन समिति अपनी तिमाही बैठकों में बैंकों के निष्पादन तथा ऋण वसूली और पुनर्भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा करेगी।

X. जैसे ही परियोजना प्रस्ताव कयर बोर्ड के क्षेत्र कार्यालय द्वारा प्राप्त किए जाते है, वैसे ही उन प्रस्तावों के ब्योरे प्रत्येक हितभोगी के लिए एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या के साथ वेब आधारित आवेदन ट्राकिंग पद्धति में भरे जाने चाहिए ताकि उद्यमकर्ता किसी भी समय पर अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकते हैं।

XI. जब तक ई- ट्राकिंग पद्धति पूरी तरह चालू नहीं होती (जिसकेलिए क्षेत्र कार्यालयों को कयर बोर्ड द्वारा अलग रूप से मार्गनिर्देश जारी किए जाने है,) प्रत्येक आवेदन की प्रगति, विशेष वर्गों (वर्ग-वार) के हितभोगियों द्वारा प्राप्त की गई सहायता, रोजगार के विवरण आदि से संबंधित पूरे आंकडे क्षेत्र कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित किए जाएँगे तथा कयर बोर्ड मुख्य कार्यालय द्वारा आंकडों का समाधान किया जाएगा। समाधान की स्थिति की समीक्षा चयन समिति द्वारा समिति की बैठकों में तथा अध्यक्ष, कयर बोर्ड द्वारा समीक्षा बैठकों में की जाएगीं।

XII. कयर बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य केलिए विशेष रूप से रूपांकित ई डी पी प्रशिक्षण, जो क्षेत्र कार्यालयों द्वारा आयेजित किया जाएगा, के बाद ही हितभोगी को ऋण की पहली किश्त ही जाएगी।

XIII. बैंकों से प्राप्त मंजूरी के विवरण क्षेत्र कार्यालयों द्वारा कयर बोर्ड मुख्य कार्यालय को दिए जाएँगे तथा मुख्य कार्यालय संबंधित बैंको के नोडल बैंक में कयर बोर्ड के नाम पर आर्थिक सहायता राशि एक मुश्त में जमा की जाएगी।

XIV. बैंक से मंजूरी पत्र की प्रति की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर हितभोगी को संबंधित बैंक में अपना अंशदान जमा करना चाहिए।

XV. अनुमोदित परियोजन केलिए नोडल बैंक द्वारा योग्य आर्थिक सहायता तब दी जाएगी जब कार्यान्वयनकारी बैंक से यह औपचारिक पुष्टीकरण प्राप्त होगा कि परियोजना रिपोर्ट में दर्शाए गए पूँजीगत व्यय के आधार पर अमुक हितभोगी को ऋण की पहली किश्त प्रदान की गई है। कुल राशि में आर्थिक सहायता की राशि पर बैंक ब्याज प्रभारित नहीं करेंगे। यद्यपि बैंकों द्वारा परियोजना रिपोर्ट में दर्शाए गए पूँजीगत व्यय तथा उसकी मंजूरी के आधार पर आर्थिक सहायता का दावा किया जाएगा, तो भी पूँजीगत व्यय के वास्तविक उपयोग के समोनुपात आर्थिक सहायता अपने पास रखकर अतिरिक्त राशि यदि कुछ है तो, उत्पादन प्रारंभ करने के लिए परियोजना के तैयार होने के तुरंत बाद कयर बोर्ड को लौटानी चाहिए। यद्यपि आर्थिक सहायता बैंक की मनोनीत नोडल बैंक द्वारा दी जाएगी तोभी योजना के मानदंडों के आधार पर परियोजना/दावा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अंतिम प्राधिकारी कयर बोर्ड रहेगा। अस्वीकृति के कारणों का विवरण कयर बोर्ड द्वारा अभिलिखित और अनुरक्षित किया जाएगा।

XVI. मार्जिन राशि (आर्थिक सहायता) हितभोगी के पक्ष में दिए जाने के बाद उसको शाखा स्तर पर हितभोगी के नाम पर दो वर्षों के लिए आवधिक जमा प्राप्ति (टी डी आर) में रखा जाना चाहिए। टी डी आर पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा तथा टी डी आर के समतुल्य राशि के ऋण पर कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा।

XVII. चूँकि मार्जिन राशि (आर्थिक सहायता) को सब्सिडि अनुदान क रूप में दिया जाना है, इसको बैंक द्वारा हितभोगी को पहले वितरण की तिथि से दो वर्षों के बाद हितभोगी के ऋण खाते में क्रेडिट किया जाएगा।

XVIII. यदि बाद में बैंक द्वारा किसी भी स्रोत से कोई वसूली प्रभावित की जाती है तो ऐसी वसूली का उपयोग बैंक द्वारा पहले अपनी बकाया देयताओं को चुकाने केलिए किया जाएगा।

XIX. मार्जिन राशि (आर्थिक सहायता) सरकार से प्राप्त एकबार की सहायता है। क्रेडिट सीमा को बढ़ाने या परियोजना के विकास / आधुनिकीकरण केलिए मार्जिन राशि (आर्थिक सहायता) प्राप्त नहीं होगी।

XX. बैंक को आवधिक ऋण देने से पहले हितभोगी से एक आश्वासन प्राप्त करना होगा कि कयर बोर्ड द्वारा किसी आपत्ति जताने पर (अभिलिखित एवं लिखकर सूचित की गई)हितभोगी को टीडीआर में रखी गई या दो वर्षों के बाद निर्मुक्त की गई मार्जिन राशि (आर्थिक सहायता) लौटानी होगी।

XXI. बैंकों/ कयर बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक हितभोगी द्वारा अपनी परियोजना स्थान के मुख्य द्वार पर निम्नांकित सूचना पट्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है।

कयर बोर्ड के कयर उद्योग योजना के नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन (भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय) के अधीन

.... (इकाई का नाम)
....(बैंक), जिला नाम द्वारा वित्त पोषित

(आर्थिक सहायता का दावा बैंक के वित्त पोषण शाखा द्वारा मनोनीत नोडल शाखा को यथा शीघ्र संभावित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।)

XXII. नोडल शाखा, तिमाही आधार पर कयर बोर्ड को उनके पास रखे एक मुश्त मार्जिन राशि (आर्थिक सहायता) के समाधान के बाद सहायता प्राप्त एककों की संख्या का शाखा -वार विवरण, प्राप्य निवेश, स्वीकार्य मार्जिन राशि (आर्थिक सहायता), कयर बोर्ड को लौटाने योग्य मार्जिन राशि (आर्थिक सहायता) आदि को सूचित करते हुए लेखे प्रस्तुत करेगी।

XXIII. आर्थिक सहायता का अंतिम समायोजन तभी किया जाएगा जब कयर बोर्ड तथा बैंक द्वारा संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन के बाद ई-ट्रांकिंग प्रणाली पर हितभोगी सहित एकक की अद्यतन तस्वीर अपलोड की गई हो।

12. मशीनरी

निर्माता से खरीदी जाने वाली कयर मशीनरी/आनुषंगिक वस्तुएँ कयर बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंड के अनुसार होनी चाहिए। चूँकि हितभोगियों को परियोजना के अधीन बिजली की कमी का सामना करना पडता है, इसलिए उचित क्षमता वाले जनेरेटर की खरीद पर विचार करने का विकल्प उनके पास है ताकि खरीदी गई मशीनरी का पूरी तरह उपयोग किया जा सके।

13. उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम (ई डी पी)

13.1 ई डी पी का उद्देश्य विविध प्रबंधकीय कार्य जैसे वित्त, निर्माण, विपणन, उद्यम प्रबंध, बैंकिग औपचारिकताएँ, बुक कीपिंग आदि से परिचित कराना और जानकारी देना है। ई डी पी कयर बोर्ड द्वारा सीधे या कयर बोर्ड या एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नोडल अभिकरणों, ग्रामीण विकास एवं स्वनियोजन प्रशिक्षण संस्थानों (आर यू डी एस ई टी आई), नामी एन जी ओ तथा कयर बोर्ड द्वारा समय-समय पर पहचाने गए अन्य संगठनों/ संस्थानों द्वारा चलाया जाता है। ई डी पी की अवधि 5 दिनों की है। सभी कयर उद्यमी हितभोगियों के लिए ई डी पी अनिवार्य होगा ।

13.2 <u>प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए ई डी पी प्रभार हेतु बजटः-</u> योजना के अधीन पाठ्यक्रम सामग्री, अतिथि वक्ताओं के लिए मानदेय आदि के लिए प्रत्येक प्रशिक्षार्थो को पाँच दिनों की अवधि के लिए 2000 रुपए की राशि स्वीकार्य है। कयर बोर्ड द्वारा इस व्यय की राशि इस उद्देश्य के लिए चुने गए केंद्रों / संस्थानों को लौटायी जाएगी ।

13.3 इस योजना के अधीन बैंकों से ऋण का लाभ उठाने और इकाई स्थापित करने के लिए हितभोगियों को मदद देने हेतु नामी एन जी ओ संगठन पहचाने जाएँगे।

14. कयर उद्यमी इकाईयों का प्रत्यक्ष सत्यापन

कयर उद्यमी के अधीन स्थापित प्रत्येक इकाई की वास्तविक स्थापना और 100% प्रत्यक्ष सत्यापन कयर बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के अभिकरणों / या यदि आवश्यक हो तो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ पेशेवर संस्थाओं / अभिकरणों के माध्यम से भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम जी एफ आर में निर्धारित प्रणालियों का पालन करते हुए किया जाएगा। 100% प्रत्यक्ष सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए बैंक कयर बोर्ड से समन्वयन करके उसकी सहायता करेंगे। इकाईयों के ऐसे प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए कयर बोर्ड द्वारा एक उचित प्रपत्र तैयार किया जाएगा। निर्धारित प्रपत्र में तिमाही रिपोर्ट कयर बोर्ड द्वारा एम एस एम ई मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।

15. अवबोध कैंप

15.1 नारियल उत्पादन वाले राज्यों में कयर उद्यमी योजना का प्रचार करने और इस योजना के संबंध में संभाव्य हिभोगियों को सुशिक्षित बनाने के लिए लोगों को अवगत करानेवाले कैंप आयोजित करेंगे। इन कैंपों में कयर क्षेत्र में कार्यरत पुरूषों और महिलाओं, विशेषकर एस सी, एस टी, ओ बी सी, अल्प संख्यक, महिलाओं आदि विशेष वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित किया जाएगा।इस संबंध में अपेक्षित सूचना/विवरण कयर बोर्ड द्वारा डी आई सी, राज्य स्तरीय संगठन जैसे एससी/एस टी निगम, नामी एन जी ओ, नोडल अभिकरण आदि से प्राप्त किए जाएँगे। इन अवगत करानेवाले कैंपों से हितभोगियों की सूची बनाई जाएगी और उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।

15.2 अवबोध कैंपों में किए जाने वाले अनिवार्य क्रिया कलापः-

- बैनरों, पोस्टरों तथा स्थानीय अखबारों में प्रेस विज्ञप्तियों द्वारा प्रचार
- कयर बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा योजना का प्रस्तुतीकरण
- क्षेत्र के लीड बैंक द्वारा योजना का प्रस्तुतीकरण
- सफल कयर उद्यमी उद्यमकर्ताओं द्वारा प्रस्तुतीकरण
- संवादाता सम्मेलन
- संभाव्य हितभोगियों से आंकडों का संग्रहण जिसमें हितभोगी का प्रोफाइल, उनकी क्षमता, अनुभव तथा योग्यता, परियोजना जिसमें रूचि हो आदि सूचनाएँ शामिल है।
- कयर बोर्ड द्वारा कयर कार्य कलापों की परियोजनाओं पर तैयार किया गया विवरण कयर उद्यमी योजना के अधीन विचारार्थ बोर्ड के सभी कार्यान्वयनकारी कार्यालयों बैंकों डी आई सी आदि को परिचालित किया जाएगा। डी आई सी, बैंक अन्य शयरहोल्डरों से परामर्श करके बोर्ड और परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। हितभोगी को अपनी आवश्यकतानुसार कयर परियोजनाएं बनाने की आज़ादी होगी परियोजना की स्वीकार्यता पर विश्लेषण के बाद उन पर विचार किया जाएगा ।
- कयर उद्यमी एककों के उत्पादों केलिए विपणन सहायता कयर बोर्ड के विपणन बाज़ारों से यथा संभव दी जाएगी, कयर बोर्ड को गुणता मुल्यन तथा समय -समय पर निर्धारित अन्य मानदडों के आधार पर ऐसी सहायता प्रदान करने का आधिकार है ।

16 करार का निष्पादन

16.1 योजना के अधीन अनुदान का लाभ उठानेवाले हितभोगी अपनी परिसंपत्तियां उनवित्तीय संस्थाओं, जिनसे एकक की स्थापना के लिए ऋण लिया हो,को छोडकर किसी और के गिरवी नही रखेंगे ।

16.2 किसी भी स्थिति में योजना के अधीन प्राप्त अनुदान के अनुमोदन के बाद आर्जित परिसंपत्तियों को आंशिक या पूर्ण रूप से न अंतरित कर सकता है न गिरवी रख सकता है या नही बेचा जा सकता है ।

16.3 अनुदान का लाभ उठाने वाले हितभोगी को कयर बोर्ड कोच्ची के साथ निम्नबातों पर करार का निष्पादन करना होगा ।

16.3.1 मशीनरी/उपस्कर का अनुरक्षण अच्छी तरह किया जाएगा।

16.3.2 कयर एकक चलाने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा ।

16.3.3 परिसरों से हटाया नहीं जाएगा ।

16.3.4 कयर बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना बेचा नहीं जाएगा ।

16.3.5 उस राशि के लिए बीमांकित किया जाएगा, जो कयर बोर्ड द्वारा प्रदान की गई राशि से कम न हो ।

16.3.6 कयर बोर्ड के अधिकारियों या उस राज्य के अधिकारियों, जहां एकक स्थित हो द्वारा निरीक्षण के लिए एकक उपलब्ध कराना

16.3.7 एकक का संचालन कम से कम पांच साल के लिए करना है ।

16.3.8 एकक के कार्य करनेके संबंध में कयर बोर्ड, केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समय -समय पर जारी अनुदेशों का पालन करना ।

16.3.9 यदि दी गई शर्तों का किसी भी तरह उल्लंघन किया जाए है तो हितभोगी सहायता की पूरी राशि कयर बोर्ड द्वारा तय किए गए ब्याज की दर, जो लागूहो, पर लौटाने के लिए जिम्मेदार होंगे । यदि इसमें चूक होती है तो ऐसीचूक करनेवाले के विरुद्ध कार्रवाई ली जाएगी ।

16.4 अनुदान की मांग करने वाले हितभोगी को समिति के समक्ष शेड़ निर्माण तथा यंत्रों की खरीद से संबंधित सारे प्रासंगिक अभिलेख प्रस्तुत करने है ताकि स्वीकार्य अनुदान की मात्रा सुनिशिचत कर सके ।

16.5 हितभोगी से योजना के अधीन प्राप्त अनुदान वसूल किया जाएगा

16.5.1 जहाँ अनिवार्य तथ्यों का कपतापूर्ण मिथ्या कथन से या गलत सूचना देकर योजना के अधीन सहायता प्राप्त की हो ।

16.5.2 जहाँ एकक अपने नियंत्रण के बाहर के कारणों से ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों की अल्प अवधि के लिए उत्पादन रहित होने की स्थिति को छोडकर उत्पादन शूरू होने की तारीख से 5 सालों के भीतर उत्पादन रहित हो ।

17. कयर उद्यमी योजना के हितभोगियों के लिए विपणन समर्थन सहायता

17.1 कयर उद्यमी हितभोगियों के विपणन प्रयासों को सहारा देने के लिए इस उद्देश्यार्थ रखी गई 10 करोड की उदिदृष्ट निधि के आबंटन से निम्नांकित हस्तक्षेप किए जाएंगे ।

अ) कयर उद्यमी हितभोगियों के अंतर्राष्ट्रीय निकाय की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना । अंतर्राष्ट्रीय निकाय के गठन केलिए उपचित व्यय अंतर्राष्ट्रीय निकाय के गठन के लिए नियुक्त परमर्शदाता को दिए गए शूल्क के लिए अंतराष्ट्रीय निकाय के पंजीकरण के लिए व्यय तथा प्रारंभिक व्यय आदि की लौटाने के लिए सहायता का वितरण किया जाएगा। सहायता की सीमा एक लाख प्रति अंतर्राष्ट्रीय निकाय होगी जो चार्टड अकौंडेट द्वारा प्रमाणित व्यय के विवरण के आधार पर प्रस्तुत दावों पर दी जाएगी ।

आ) फेयर/प्रदर्शनियों में भाग लेने पर जगह का किराया, सामान का परिवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों के दो कार्यकताओं के लिए रेल गाडी के शयन यान का प्रभार , जहाँ जगहे रेल से जुडी हुई हो या वास्तविक बस प्रभार, जो भी कम हो, पर उठाए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगीं। यह सहायता प्रतिवर्ष पाँच फेयरों केलिए सीमित होगी तथा विपणन के अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा विपणन कार्य शुरू करने के बाद पहले 5 वर्षों के दौरान स्वीकार्य होगी । सभी दावों के समर्थन में व्यय लेखा का विवरण रखे जाएंगे तथा की गई बिक्री को चार्टेड अकौडेंट द्वारा सत्यापित किया जाएगा ।

इ) विपणन के अंतर्राष्ट्रीय निकाय को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए अन्य लोगों के शोरूम/डिपो में जगहें किराये पर लेने की अनुमति दी जाएगी । शोरूम/बिक्री केन्द्र को दिए जाने वाले किराये के 50% प्रतिपूर्ति योजना के अधीन की जाएगी। इससे संबंधित दावों का समर्थन लेखों के विवरण तथा चार्टेड अकौंडेट द्वारा प्रमाणित किराये की रसीद की प्रतियो के साथ तथा दुकान मालिक/शोरूम मालिक के साथ किए करार की प्रतियों सहित किया जाना चाहिए । एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय के संबध में परिसरों को किराये पर लेने के अधिकतम 25 मामलों में और क्रियाकलाप के शुरू होने के 5 वर्षों तक यह सहायता दी जाएगी ।

ई) अंतर्राष्ट्रीय निकाय अपनी स्थापना से 5 वर्षों की अवधि के लिए निम्नांकित तरीके से अपने कार्य के लिए कार्यालय, शोरूम एवं गोदाम हेतु परिसर किराए पर लेने और कर्यालय के प्रबंधन हेतु कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए सहायता के योग्य रहेंगे ।

i) कार्यालय, शोरूम तथा गोदाम जिसका क्षेत्र 1000 वर्ग फुट से ज़्यादा न हो के किराए की प्रतिपूर्ति सहायता की अधिकतम सीमा 25 रूपए प्रति वर्ग फुट का वितरण निम्नांकित तरीके से किया जाएगा ।

प्रथम वर्ष	-	75%
द्वितीय वर्ष	-	50%
तृतीय वर्ष	-	40%
चौथा वर्ष	-	25%
पॉचवाँ वर्ष	-	10%

ii) अंतर्राष्ट्रीय निकाय में काम पर रखे गए कर्मचारी के वेतन की प्रतिपूर्ति :-

अ) एक प्रबंधक जिनका वेतन प्रतिमाह 5000 रूपए से ज़्यादा नहीं होगा ।

आ) एक लेखा लिपिक जिनका वेतन प्रतिमाह 3000 रूपए से ज़्यादा नहीं होगा ।

दावे के साथ चार्टरित लेखाकार द्वारा प्रामाणित लेखा-विवरण भी सम्मिलित करना है ।

17.2 कयर उद्यमी योजना हितभोगियों हेतु विपणन समर्थन सहायता के अधीन सारी सहायता की प्रतिपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय निकायों को उनके दावों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय निकायों के नाम पर खोले गए खातों के द्वारा दी जाएगी ।

17.3 तथापि, विपणन समर्थन सहायता प्रत्येक वर्ष की बजट तथा निधि की उपलब्धता के आधार पर होगी ।

17.4 हितभोगी द्वारा दावे तिमाही आधार पर प्रस्तुत किए जाएँगे ।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

क्रम.सं	दस्तावेज
1.	योजना सहायता के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्र
2.	जिस संपत्ति पर एकक की स्थापना प्रस्तावित हो, उसका आधिकार - पत्र
3.	कयर उद्योग में अनुभव का प्रमाण
4.	कयर बोर्ड से प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण
5.	इनवोइस के साथ खरीदी जाने हेतु प्रस्तावित मशीनरी
6.	डी आई सी द्वारा जारी उद्योग स्थापना प्रमाणपत्र
7.	चार्टेड इंजीनियर द्वारा विधिवत प्रमाणित काम शेड़ के निर्माण का नक्शा और आकलन
8.	प्रस्तावित परियोजना का परियोजना प्रोफाइल
9.	एस सी/एस टी के मामले में, जाति प्रमाण पत्र
10.	कोई अन्य समर्थक दस्तावेज

❖❖❖